न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 313/2021 निर्णय दिनांक :– 15.07.2022

उनवानी दावा :

जगदीश पुत्र श्योजी जाति तेली उम्र बालिग निवासी पनवाड तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री प्रेम चन्द जैन
अधिवक्ता वादी

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश है :–प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 190 ख0नं0 3964/28 रकबा 0.87 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.87 है0 वाके तनग्राम पनवाड पटवार हल्का पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 3964/28 में आने–जाने व काश्तकारी करने हेतु आराजी ख0नं0 85 गै0मु0 सडक होकर आराजी ख0नं0 86 जो चरागाह भूमि में बने हुए कदीमी रास्ते से आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता रहा है और इस रास्ते का प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। हाल ही में आस–पास के अन्य खातेदारों ने प्रार्थी के रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से अवरूद्ध कर दिया है और हंकाई कर फसल काश्त करने पर आमादा है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है तथा निकट समय भी फसले काश्त होगी। इस कारण प्रार्थी को उक्त भूमि में से विधिवत् रूप से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी व इनके परिवारजन भूखे मर जायेगें। अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 381 की भूमि में से

लगभग 20 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्रांज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचनें के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 6 मी., लम्बाई 17 मी., कुल क्षेत्रफल 0.0102 है0 है। प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 86 किस्म चरागाह में है। डीएलसी दर 709691 प्रति है0 कुल क्षेत्रफल 0.0102 का एक गुना राशि 7239/– व दुगुनी 14478/– रूपये बनती है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के मध्य कोई पेड, दीवार आदि कोई संरचना नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चरागाह है अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया पत्रावली व तहसीलदार की रिपोर्ट को देखते हुए न्यायालय जो उचित समझे वही निर्णय कर दे, कोई आपति नहीं है।

अप्रार्थी तहसीलदार अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 3964/28 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम पनवाड़, तहसील देवली में स्थित है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की प्रार्थना अनुसार आवश्यकता अत्यधिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ख. नं. 86 की किस्म गै. मु. चारागाह दर्ज है जिसमें से अप्रार्थी तहसीलदार रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। उक्त भूमि चारागाह भूमि है जिसमें से प्रार्थी आसानी से अपनी आराजी भूमि में आ जा सकता है। अतः रास्ता दर्ज किये जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है। साथ ही रास्ते के लिए वांछित भूमि चारागाह श्रेणी की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली